महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

A State University-Government of Uttar Pradesh; **NAAC A++ Accredited**; ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि. / सम्बद्धता / 2024 / 1802

दिनांक : 10.05.2024

अति आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

1—समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर, बरेली।

2—समस्त प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक / प्रबन्धक / सचिव,
समस्त सम्बद्ध—राजकीय / संघटक / अनुदानित / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय— हीट वेव की तैयारी की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 25.04.2024 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवृत्त दिनांक 01.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के संलग्न पत्रांक : 1009 / सत्तर—3—2024 दिनांक 10 मई, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विशेष सचिव, राजस्व अनुभाग—11, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या—434 / एक—11—2024, दिनांक 01.05.2024 संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः कृपया उपर्युक्तानुसार हीट वेव की तैयारी की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 25.04.2024 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या ई—मेल आई0डी0 : draffiliationmjpru@gmail.com पर दिनांक 15.05.2024 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि आख्या समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध करायी जा सके।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / चीफ प्राक्टर / क्रीड़ा सचिव / समस्त वार्डन।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली—मुरादाबाद परिक्षेत्र, बरेली।
5. समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना।
6. कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, विश्वविद्यालय परिसर, बरेली।
7. मीडिया प्रभारी।
8. उप—कुलसचिव (परीक्षा)
9. उप—कुलसचिव (प्रशासन)
10. प्रभारी, वेवसाईट।
11. निजी सचिव—कुलपति।

कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

A State University-Government of Uttar Pradesh; NAAC A++ Accredited; ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि. / सम्बद्धता / 2024 / 1802 दिनांक : 10.05.2024

अति आवश्यक / समयवबद्ध

सेवा में,

1–समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर, बरेली।

2–समस्त प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक / प्रबन्धक / सचिव,
समस्त सम्बद्ध–राजकीय / संघटक / अनुदानित / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय– हीट वेव की तैयारी की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 25.04.2024 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवृत्त दिनांक 01.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के संलग्न पत्रांक : 1009 / सत्तर–3–2024 दिनांक 10 मई, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विशेष सचिव, राजस्व अनुभाग–11, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–434 / एक–11–2024, दिनांक 01.05.2024 संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः कृपया उपर्युक्तानुसार हीट वेव की तैयारी की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 25.04.2024 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या ई–मेल आई0डी0 : draffiliationmjpru@gmail.com पर दिनांक 15.05.2024 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि आख्या समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध करायी जा सके।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / चीफ प्राक्टर / क्रीड़ा सचिव / समस्त वार्डन।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली–मुरादाबाद परिक्षेत्र, बरेली।
5. समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना।
6. कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, विश्वविद्यालय परिसर, बरेली।
7. मीडिया प्रभारी।
8. उप–कुलसचिव (परीक्षा)
9. उप–कुलसचिव (प्रशासन)
10. प्रभारी, वेबसाईट।
11. निजी सचिव–कुलपति।

कुलसचिव

महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या– 1009 /सत्तर–3–2024

प्रेषक,

एस0पी0 मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा उ0प्र0
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक 10 मई, 2024

विषय: मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 25.04.2024 को बैठक सम्पन्न की कार्यवृत्त दिनांक 01.05.2024 अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, राजस्व अनुभाग–11, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–434/एक–11–2024, दिनांक 01.05.2024 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये, अनुपालन आख्या एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(एस0पी0 मिश्र)
उप सचिव।

D.R. (Adm.)

श्री प्रसेनजित
10.05.24

संख्या 1009 /राजस्व-3-24

I/551933/2024 प्रमुख सचिव कार्यालय में प्राप्त दिनांक 02/05/24 File No.1-11099/20/2024- -11- 49

संख्या 6136 /VIP PSHED/2024

हीट वेव की तैयारी की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में दिनांक 25-04-2024 को अपरान्ह 04:00 बजे से सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

1- **बैठक में उपस्थिति:-**

प्रतिभागी अधिकारियों की सूची संलग्न है। उक्त के अतिरिक्त मीरजापुर, चित्रकूट एवं झांसी मण्डल के मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया।

2- बैठक में राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश में हीटवेव से बचाव एवं राहत की तैयारी के लिये शासन के सम्बन्धित विभागों एवं समस्त मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों के लिये दिनांक 22.03.2024 को निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया।

3- बैठक में सम्बन्धित विभागों के उपस्थित अधिकारियों द्वारा राजस्व विभाग द्वारा निर्गत उक्त दिशा-निर्देशो के क्रम में कृत कार्यवाही से विस्तार से निम्नवत अवगत कराया गया:-

शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि बच्चों के स्कूलों की टाइमिंग भी हीट वेव की तीव्रता के अनुसार निर्धारित की गयी है।

ए0डी0जी0, फायर द्वारा अवगत कराया गया कि फायर की एनुअल ड्रिल की जा रही है। सभी जगह सार्वजनिक स्थलों का फायर आडिट किया गया है। विस्फोटक पटाखों, विद्युत, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आदि सभी सार्वजनिक स्थलों का फायर आडिट किया गया है। जागरूकता बनाये जाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जा रही है।

परिवहन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि 262 बस स्टेशनों पर पेयजल और छाया की व्यवस्था की गयी है। चिकित्सा विभाग से हीटवेव से पीड़ितों को प्राथमिक चिकित्सा/उपचार की व्यवस्था हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

सूचना विभाग द्वारा अगवत कराया गया है कि हीटवेव में क्या करें, क्या न करें के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है।

ऊर्जा विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भयंकर गर्मी एवं हीट वेव के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

पर्यटन विभाग द्वारा अवगत कराया गया धार्मिक व अन्य पर्यटन स्थलों पर पेयजल आदि की व्यवस्था की जा रही है।

प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग की ओर से समस्त औपचारिकताएं/कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी हैं। गत वर्षों में गौशालाओं से पशुओं को छोडे जाने के आदेश निर्गत किये गये थे। इस बार यह प्रयास किया जा रहा है कि गौशालाओं में ही पशुओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा दी जायें।

ए0डी0जी0पी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि 69 अस्थायी फायर स्टेशन भी खोले गये हैं। फायर सेफटी की सभी कार्यवाहियां कर ली गयी हैं। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि एच0टी0 लाइन्स के कारण आग लगने से बड़ी संख्या में फसलें जलकर

(आर0 पी0 चौधरी) 02/05/24 1665/VS(S) D.S. 2-5-24

(प्रेम कुमार पाण्डेय) HE-31 03.05.24

प्राप्त 6:20PM 2/5/2024

नष्ट हो रही हैं, इसका परीक्षण कर समुचित उपाय करने एवं पीड़ितों को देय मुआवजा का शीघ्र भुगतान किये जाने की आवश्यकता है।

5- बैठक में मीरजापुर, चित्रकूट एवं झांसी मण्डल के मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग करते हुये निम्नवत अवगत कराया गया:-

मीरजापुर मण्डल

आयुक्त, मीरजापुर मण्डल द्वारा अवगत कराया गया कि हीट वेव से सम्बन्धित एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। पेयजल की कोई विशेष समस्या नही है, जिन क्षेत्रों में पेयजल की समस्या है वहां टैंकरों की व्यवस्था की गई है तथा हैण्डपम्पों को ठीक करा दियां गया है।

चित्रकूटधाम मण्डल

आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल द्वारा अवगत कराया गया कि हीट वेव से निपटने की तैयारी कर ली गयी है। पानी की कमी वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर टैंकरों की व्यवस्था की गयी हैं। पेयजल हेतु जल जीवन मिशन के तहत भी कार्यवाही की जा रही है। चुनाव के हर बूथ पर पेयजल और छांव की व्यवस्था करायी जायेगी।

जिलाधिकारी, बांदा द्वारा अवगत कराया गया कि हीट वेव के सम्बन्ध में प्रचार एवं बचाव/उपचार आदि के लिए आशा वर्कर्स को और अधिक सक्रिय कर दिया गया है। पर्याप्त मात्रा में जनपद बांदा में टैंकरों की व्यवस्था कर ली गयी है। एक निर्माणाधीन पानी की टंकी का निर्माण शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा। जगह-जगह पानी के घड़े भी रखवायें जा रहे हैं।

जिलाधिकारी, महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि कबरई पेयजल योजना को जल निगम द्वारा निर्मित किया जा रहा है। ठेकेदार के साथ विवाद के कारण गत 5 वर्षों से अपूर्ण है, जिसे शीघ्र पूर्ण कराने की आवश्यकता है।

झांसी मंण्डल

आयुक्त, झांसी मण्डल द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हैण्डपम्प एवं टैंकरों के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। ओ0आर0एस0 के पैकेट्स भी सार्वजनिक स्थलों पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। होम्योपैथी एवं आयुर्वेद के डाक्टरों के कैम्प भी गांव स्तर पर लगवाए जा रहे हैं। गौ-आश्रय स्थलों की छतों पर गीली बोरियां रखवाकर उन्हें ठण्डा रखने का कार्य भी किया जा रहा है।

5- मुख्य सचिव महोदय द्वारा बैठक में समस्त सम्बन्धित विभागों एवं मण्डल व जनपद के उपस्थित अधिकारियों द्वारा हीट वेव की तैयारी के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की समीक्षा के उपरान्त निम्नवत् निर्देश दिये गये:-

(1) इस वर्ष हीट वेव और अधिक होने की सम्भावना है। हीट वेव प्रबन्धन हेतु सभी विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा हीटवेव से होने वाली जन-धन हानि व पशुहानि व दुर्घटनाओं के प्रति और अधिक संवेदनशील हो कर कार्य किया जाये। लोक सभा निर्वाचन के दृष्टिगत गर्मी के प्रकोप से सम्बन्धित तैयारियों पर विशेष सतर्कता की आवश्यकता है।

(2) हीट वेव के दौरान होने वाली अग्निकांड आदि दुर्घटनाओं में पीड़ितों को राहत राशि, सहायता, उपचार आदि तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

(3) अग्निशमन विभाग आग से होने वाली घटनाओं के प्रति और अधिक सतर्क रहें। सभी अग्निशमन उपकरणों आदि की जांच करवा ली जाये। फायर उपकरणों का आडिट करवाया जाए तथा ड्रिल भी करवायी जाए। अग्निशमन विभाग इस सम्बन्ध में इंस्ट्रक्शंस जारी करें तथा यह सुनिश्चित करें कि घटना होने पर रेस्पांस टाइम न्यूनतम रहे।

(4) मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी हीट वेव से होने वाली घटनाओं में तुरन्त उपस्थित हों और चिकित्सा उपचार सुविधा आदि तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। पेयजल की जहाँ समस्या हो उसे दूर करें और पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। इस सम्बन्ध में प्रो-एक्टिव तरीके से कार्य करते हुए पहले से ही पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था की जाय।

(5). धार्मिक स्थलों में होने वाले धार्मिक आयोजनों-यथा पंचकोसी आदि कार्यक्रमों के दौरान पीने के पानी, पन्ना, नींबू पानी, शरबत, प्याऊ आदि की व्यवस्था करवाएं। इस कार्य हेतु एन०सी०सी०, एन०एस०एस०, रोटरी क्लब जैसी सिविल सर्विसेज आर्गनाइजेशंस वालेन्टियर्स तथा समाजसेवी व्यक्तियों को अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाय। परिक्रमा वाले धार्मिक स्थलों पर लोगों को प्रेरित किया जाये कि वे नंगे पैर परिक्रमा न करें।

(6) अप्रैल से जून तक हीट वेव की अवधि में शादी समारोहों का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें फूड पोइजनिंग एवं आतिशबाजी से आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। शादी समारोह में इस तरह की घटनाएं न हो जिला प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में भी प्रभावी उपाय सुनिश्चित किये जाय।

(7) हीटवेव में क्या करें, क्या न करें इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार सूचना विभाग द्वारा किया जाय। आदर्श आचार संहिता में प्रचार प्रसार किये जाने पर कोई रोक नहीं लगायी गयी है। ऐसे प्रचार में किसी भी राजनैतिक पार्टी/पदाधिकारी आदि का चित्र अथवा नाम न अंकित किया जाय, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो।

(8) पशुओं के लिए तालाब पोखर आदि जलाशयों में पानी एवं चारा आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। हर वर्ष गर्मी के मौसम में पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा नहरों के माध्यम से तालाबों में पानी भरवाया जाता है। सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में कार्य योजना बना कर तालाबों में पानी भरवाना सुनिश्चित किया जाय।

(9) स्कूलों में बच्चों को हीट वेव के बारे में अधिक से अधिक बताया जाय तथा नाटक, डिबेट, आशु भाषण आदि के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया जाय, क्योंकि बच्चों के माध्यम से अधिक से अधिक कम्यूनिटी तक प्रचार प्रसार किया जा सकें। बच्चों के स्कूलों की टाइमिंग भी हीट वेव की तीव्रता के अनुसार निर्धारित की जाय।

(10) वन क्षेत्रों में अग्नि कांड की घटनाएं न हो और पशु एवं वन सम्पदा की क्षति न हो इसके उपाय किये जाय। इस सम्बन्ध में डी0एफ0ओ0 से नियमित निगरानी रिपोर्ट ली जाय।

(11) गर्मी के दिनों में खेतों में आग लगने से फसल क्षति होने पर पीड़ित कृषक को तत काल राहत राशि प्रदान की जाय।

(12) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत गत वर्षों में पेयजल हेतु वृहत जल प्रणाली निर्मित की गयी है। यह सुनिश्चित कर लें कि सभी परियोजनाएं चालू रहें। जहां इनकी उपलब्धता नही है, वहां वैकल्पिक स्रोत से पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। हीट वेव के दौरान चिड़ियों की मृत्यु को रोकने के सम्बन्ध में भी व्यवस्था की जाय। वन विभाग द्वारा वन क्षेत्रों मे भी पशुओं व पक्षियों के लिये पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

(13) वर्तमान में लोक सभा निर्वाचन के दौरान मतदान हेतु भारी संख्या में मतदाता एकत्रित होते हैं। भीषण गर्मी के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा बूथों पर हीट वेव के दृष्टिगत किये जाने वाले प्रबन्धों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। समस्त जिलाधिकारी इन निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुयी।

Digitally Signed by Guru Prasad Porala
Date: 01-05-2024 10:41:56
Reason: Approved

(पी0 गुरु प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

उ0प्र0 शासन
राजस्व अनुभाग-11
संख्या-434/एक-11-2024
लखनऊ : दिनांक :01 मई, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. श्री अविनाश कुमार, सेकण्ड इन कमाण्ड, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-31-02/2024-डी0एम0-1 (ए) दिनांक 22-04-2024 के क्रम में।
2. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृह, कृषि, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास, श्रम, वन, पर्यटन, परिवहन, आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स, पशुपालन, सूचना एवं जन सम्पर्क, ऊर्जा, उच्च शिक्षा, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।

-8-

7. महानिदेशक, अग्निशमन एवं आपात सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
8. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, मौसम विज्ञान विभाग, लखनऊ।
12. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।
13. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. राजस्व अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।